प्रेस के लिए सूचना पत्र (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 96/2019)

तुरंत जारी करने के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने ''एफएम रेडियो चैनलों की नीलामी हेतु आरक्षित मूल्य'' पर परामर्श पत्र जारी किया।

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर, 2019 – भारतीय दूरसंसचार विनियामक प्राधिकरण ने आज ''एफएम रेडियो चैनलों की नीलामी हेतु आरक्षित मूल्य'' पर परामर्श पत्र जारी किया है।

2. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 22 अगस्त, 2019 के अपने पत्र के माध्यम से भादूविप्रा से एफएम चरण–3 नीति के तहत 283 शहरों (260 नए + 23 मौजूदा) के लिए आरक्षित मूल्य पर सिफारिशें प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था।

3. तदनुसार, एफएम रेडियो चैनलों की नीलामी हेतु आरक्षित मूल्य के अनुमान तैयार करने से संबंधित मुद्दों पर हितधारकों से उनकी टिप्पणियां/राय जानने के लिए इस परामर्श पत्र को तैयार किया जा रहा है।

4. परामर्श प्रक्रिया के भाग के रूप में, परामर्श पत्र को भादूविप्रा की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। हितधारकों से 6 नवंबर, 2019 तक लिखित टिप्पणियां आमंत्रित की जाती हैं। प्रति–टिप्पणियां, यदि कोई हों, 13 नवंबर तक आमंत्रित की जाती हैं। टिप्पणियां और प्रति–टिप्पणयां, यदि कोई हैं, अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में ईमेल एड्रेस **vk.agarwal@trai.gov.in** पर भेजी जा सकती हैं। टिप्पणियां और प्रति–टिप्पणयां भादूविप्रा की वेबसाइट **www.trai.gov.in** पर अपलोड की जाएगी।

5. किसी स्पष्टीकरण/सूचना के लिए श्री अरविंद कुमार, सलाहकार (बीएंडसीएस) से टेलीफोन नंबर **+91-11-23220209** पर संपर्क किया जा सकता है।

6. परामर्श प्रक्रिया का पूरा पाठ भादूविप्रा की वेबसाइट **www.trai.gov.in** पर उपलब्ध है।

(एस. के. गुप्ता)
सचिव, भादूविप्रा

अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति / निविदा मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति / निविदा का हिंदी अनुवाद हैं। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति / निविदा मान्य होगी।